It would, therefore, be obligatory to obtain an industrial licence under the provisions of the I(D&R) Act before setting up capacity in this line of manufacture irrespective of the levels of investment. Even small scale units desiring to take up manufacture of this item would be required to obtain industrial licences.

3. It may be noted that relaxation applies only to non-molasses based alcohol and the ban continues to operate in so far as molasses-based alcohol and beer are concerned.

4. Interested parties may apply for grant of letters of intent in the prescribed format to the Secreariat for Industrial Approvals in the Department of Industrial Development, Government of India with the requisite fees. One copy of the application should be sent by the applicants to the nominated authority such as the Excise Commissioner of the State Government concerned, whose recommendation on the proposed application, particularly from the point of view of continued availability of the requisite quantity of raw materials, would be necessary. The applicants should preferably go in for a composite technology allowing for use of various typts of raw unit materials throughout the year so that the manufacturing units do not have to depend on one raw material or depend upon their availability from other States. For the present the alcohol so produced will not come under the price control of the Central Government.

F. NO. 10(84)|87-L.P.

New Delhi, the 4th April, 1988
Forwarded to Press Information Bureau for giving it wide publicity.

Sd|-
(P.K.S. IYER)
DIRECTOR

Principal Information Officer, (P.I.O.)
Press Information Bureau,
New Delhi.

2684. [*Transferred to the 7th December*, 1988.]

बीड़ी श्रमिकों के लिये सुविधाएं

2685. **डा. अबरार अहमद खान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी और सिगरेट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं तथा क्या वास्तव में ये सुविधायें श्रमिकों को प्राप्त हो रही हैं ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा राजस्थान राज्य में इन सुविधाओं के विषय में क्या मौजूदा स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपतियों द्वारा इन बीड़ी श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) इस मामले में कोई सूचना एकत्र करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) बीड़ी उद्योग में लगे हुए श्रमिकों को घातक क्षय रोग से बचाने के लिए केन्द्र सरकार क्या उपाय कर रही है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के कल्याण की व्यवस्था करने तथा उनके काम की दशाओं को विनियमित करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 लागू किया गया है। तथापि, उक्त अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उपायों के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1976 बनाया गया है । इन अधिनियमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस निधि का

उपयोग बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा, आवास, शैक्षिक, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में अनुमानित, 1.16 लाख बीड़ी कर्मकारों में से 65,000 कर्मकारों को पहचानपत्र जारी किए गए हैं ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। राजस्थान में, बीड़ी कमकारों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए दस औषधालय (आयुर्वेदिक और एलोपैथिक) स्थापित किए गए हैं। बीड़ी कर्मकारों के 1425 वार्डों को छात्रवृत्ति के रूप में 4.12 लाख रुपये मंजूर किए गए।

(ख) से (घ) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शत) अधिनियम, 1966 के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है। अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामना की जा रही कतिपय कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से, अधिनियम में कुछ उपबंधों में संशोधन करने हेतु एक विधेयक राज्य सभा में 3.12.87 की प्रस्तुत किया गया था। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संबंधित शिकायतों की संबंधित कल्याण आयुक्तों या केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसी स्थिति हो द्वारा जांच की जाती है।

(ङ) टी० बी० अस्पतालों में पलंगों के आरक्षण की योजना और टी. बी. से पीड़ित कर्मकारों के गृह इलाज के लिए योजना की बीड़ी कमकार कल्याण निधि के अंतर्गत पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

Removal of the disqualified Office Bearer of the Delhi Bengali Hidnu Cooperative Housing Society Ltd.

2686. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one of the office bearers of the Delhi Bengali Hindu Cooperative Housing Society Limited, 165 Tagore Park, Delhi-9, had incurred disqualification under Rule 25 of the Delhi Cooperative Societies Rules, 1973;

(b) whether it is also a fact that he has held important posts in the Management Committee of the Society even after incurring disqualification in 1973, if so, what are the posts that he has held since 1973;

(c) what steps the Registrar, Cooperative Societies has taken to remove him from the membership of the Society as per the provisions of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 and the Delhi Cooperative Societies Rules, 1973; and

(d) what has been done by the Registrar, Cooperative Societies, to ensure that the Societies fulfils its obligations under the Delhi Cooperative Societies Rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The question whether disqualification has been incurred or not is pending in arbitration and the question of taking any action under the provisions of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 and the Delhi Cooperative Societies Rules, 1973 will depend upon the decision of the Arbitrator.

(d) An enquiry under Section 55 of the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 has been instituted and entrusted to a Deputy Registrar.

Commendation Certificate for Milk Cooperative Societies

2687. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any milk Cooperative Societies in Bihar has been praised by EEC recently as appeared in the